



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++

Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक:-सम्बद्धता 12927/2026-27

दिनांक : 08.10.2026

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर
मेरठ

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

विषय:- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance with the Directionns Issued By The Superme Court in Suo-Moto writ petition Civil No.5 of 2025 Versus state of U.P.Through Secretary (Home) U.P. At Lucknow के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-1053/सत्तर-3-2026-2006547 दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 एवं संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1/ 1469113 / 2026 / सत्तर - 3 - 2026-2006547 दिनांक 18.09.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance with the Directionns Issued By The Superme Court in Suo-Moto writ petition Civil No.5 of 2025 Versus state of U.P.Through Secretary (Home) U.P. At Lucknow के सम्बन्ध में है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/2694/2026-27 दिनांक 22.09.2026 के द्वारा आपसे अपेक्षा की गयी थी कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें किन्तु आपके द्वारा उक्त सूचना आज दिनांक 07.10.2026 तक भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जो कि खेद का विषय है तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों के अवेहलना की श्रेणी में आता है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के पत्र में दिये गये निर्देशों के आलोक में कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना दो कार्य दिवसों में कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें यदि उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई प्रतिकूल आदेश प्राप्त होते हैं तो उसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/सचिव का होगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।
04. प्रभारी प्रैस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
05. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलसचिव

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

लखनऊ दिनांक: 6 अक्टूबर, 2026

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In ReCompliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In ReCompliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 एवं 31.08.2026 के अनुरूप नगर विकास विभाग द्वारा विकसित किये गये वेबपोर्टल के क्रियाशील होने एवं उस पर समस्त विभागों की सूचनाएँ अंकित कर मा० न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.10.2026 को प्रस्तुत की जानी है। इस संबंध में यू०पी० डेस्को द्वारा विकसित किये गये पोर्टल पर विभागवार सूचनाएँ भरे जाने हेतु प्रशिक्षण के संबंध में सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2026 को बैठक सम्पन्न हुई।

2- उक्त बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा विकसित किये गये पोर्टल SANRAKSHAN (URL - <https://nagarvikasup.org/>) पर अपेक्षित सूचनाओं को फीड करने तथा प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रश्नगत प्रकरण हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि नामित नोडल अधिकारी एवं विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सत्यापित सूचना नगर विभाग अनुभाग-8 को उपलब्ध कराया जाय।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया प्रश्नगत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार SANRAKSHAN पोर्टल पर अपेक्षित सूचनाएं फीड करने एवं अपने संस्थान के स्तर पर विषयगत प्रकरण में नोडल अधिकारी नामित करते हुए नोडल अधिकारी एवं प्रकरण में विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की सत्यापित सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज के माध्यम से शासन को 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के तकनीकी व अन्य सहयोग हेतु श्री अभिषेक, यू०पी० डेस्को (मोबाइल नंबर-9559926007) से सम्पर्क करें।

4- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज कृपया जिले स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने का कष्ट करें ताकि पोर्टल SANRAKSHAN पर फीड की गयी सूचनाओं को सत्यापित किया जा सकें।

भवदीय,

Digitally signed by
(शकील अहमद सिद्दीकी)
SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
संयुक्त सचिव।
Date: 06-10-2026 13:37:09

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिये गये उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही की सत्यापित सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

G5149
07/10/26

A600
07/10/26

AK (Att. Section 1)

06/10

Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut